e समाचार पत्र

राष्ट्र महिला

खण्ड 1, संख्या 236, अगस्त, 2019

राष्ट्रीय महिला आयोग

गुजरात में एआईआरबीएनबी के सहयोग से घर पर रूकने के पर्यटन के संबंध में कार्यशाला

राष्ट्रीय महिला आयोग ने घर पर रूकने के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा महिलाओं के लिए उपजीविका अवसरों का सर्जन करने के लिए एआईआरबीएनबी आयरलैंड यूसी के साथ भागीदारी की है। इस भागीदारी में डिजीटल समावेशी और पूरे भारत में पर्यटन और आतिथ्य सत्कार में महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों को सर्जित करके उनको बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न राज्य महिला आयोगों से 'घर पर रूकने के पर्यटन' पर प्रशिक्षण कार्यशाला संचालित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए अनुरोध किया है।

पहले चरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मेघालय, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश में कार्यशालाएं संचालित की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 6 और 8 अगस्त, 2019 को नर्मदा जिले और गिर में कार्यशालाएं संचालित की।

श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुजरात राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लीलबेन अन्कोलिया के साथ गिर कार्यशाला का नेतृत्व किया जबकि डा. राजुलबेन एल देसाई, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नर्मदा जिले की कार्यशाला का नेतृत्व किया गया।

तमिलनाडू राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में ''उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण'' के संबंध में सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 2 अगस्त, 2019 को तमिलनाडू राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली के सहयोग से सेमिनार आयोजित किया। सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सेमिनार की अध्यक्षता की जबकि प्रोफेसर कमला शंकरन, उप कुलपति, टीएनएनएलयू ने सत्र का सभापत्तिव किया।

सफल महिलाएं

पी.वी. संधु ने तारीख 25 अगस्त, 2019 को जापान की अपनी प्रतिद्वंद्वी नोजोमी ऑखूरा को हरा कर बैठमिंटन विश्व चैंपियनशीप जीतने वाली पहली भारतीय बनी।

प्रियदर्शनी पवार तारीख 18 और 22 अगस्त के बीच आयोजित फ्रांस की सबसे पुरानी लांग डिस्टेंस साइकिलिंग प्रतियोगिता में 1200 किलोमीटर पेरिस–ब्रेस्ट–पेरिस सर्किट को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी।

ऐश्वर्या पीस्से एफआईएम बजास विश्वकप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तारीख 12 अगस्त, 2019 को उन्हें हंगरी में अंतिम राउंड के समाप्ति पर विजेता घोषित किया गया। वह प्रतियोगिता में सभी चारों राउंड पूरा करने वाली अकेली महिला मोटरसाइकिल सवार थी।

आरोही पंडित तारीख 21 अगस्त, 2019 को अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर पर एकल उड़ान भरकर उन्हें पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन या 'लाइन और कम्फ्यूशन', जहां पर मिनट के लिए उपकरण काम करना बंद कर देते है, पर अकेले ही उड़ान भरकर उसे पार किया।

कार्यक्रम के दौरान पांच सफल महिला उद्यमियों और मिरांडा हाउस (परियोजना एन्ऐक्टस) के दो विद्यार्थियों ने भाग लेने वालों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया।

टीएनएनएलयू तिरूचिरापल्ली के विद्यार्थियों, शहर में अन्य स्थानीय संस्थाओं के विद्यार्थियों विश्वविद्यालय की विधिक सहायता समिति के सदस्यों और उन्नत भारत के भागरूप विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई आसपास के क्षेत्रों की कुछ ग्रामीण महिलाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया। उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण सेमिनार में पैनल के सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

राष्ट्रीय महिला आयोग के भीतर

तारीख 19 अगस्त, 2019 को 40 प्रवासी युवा भाग लेने वालों का समूह 54वें 'भारत से परिचित होने के कार्यक्रम' के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग आए। 'भारत से परिचित होने के कार्यक्रम' को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था जहां पर विदेश से भारतीय मूल के विद्यार्थी राष्ट्रीय महिला आयोग इसके अधिदेश और कार्यप्रणाली के संबंध में भली भांति समझने के लिए आए थे।

आईटीईसी योजना (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) के अधीन अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 26 भाग लेने वालों का एक समूह 'अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों और कार्यस्थल पर लिंग समानता के संवर्धन' पर तारीख 22 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग आए और पूरे देश में लिंग समानता का संवर्धन करने में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका को भली भांति समझने के लिए इसके कर्मचारियों के साथ बातचीत की।

पुलिस कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे देश में पुलिस कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता कार्यशालाएं और कार्यक्रम, उन्हें लिंग मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से, आयोजित करता है। यह कार्यक्रम पुलिस कर्मचारियों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से और लिंग आधारित अपराधों, पीड़ित के संबंध में कार्यवाही करते समय विशेष रूप से महिलाओं की बाबत बिना किसी प्रतिकूल और सहानुभूति के साथ कार्य करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। अगस्त, 2019 मास के दौरान ऐसे जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उन्हें नीचे दर्शित किया गया है।

क्र. सं	शहर	राज्य	तारीख
1.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	6 अगस्त, 2019
2.	गैंगटोक	सिक्किम	19 अगस्त, 2019
3.	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	21 अगस्त, 2019
4.	इम्फाल	मणिपुर	22 अगस्त, 2019
5.	गांधीनगर	गुजरात	27 अगस्त, 2019

पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा के बारे में प्रतिबद्ध है और उनके अधिकारों तथा महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध की पीडितों की दशा में विधि का अवलंब लेने और विधिक उपायों को समझाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए महिलाओं के बीच जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है। इस संदर्भ में आयोग ने तारीख 28 अगस्त, 2019 को मिरांडा हाउस, दिल्ली में पूर्वोत्तर की महिला विद्यार्थियों तक पहुंच के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और इसके अधीन जिन विषयों को सम्मिलित किया गया था उनमें महिलाओं से संबंधित उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जानकारी और दिल्ली आदि में प्रादेशिक बहुवाद के संदर्भ में सह अस्तित्व शामिल थे।

तारीख अगस्त 2019 में स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायतें और सुलझाई गई शिकायतें

क्र. सं.	मास	कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई रिपोर्टों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त हो गए है	बंद किए गए मामलों की संख्या
1.	अगस्त, 2019	21	44	03

कार्यक्रमों में भाग लिया–

अध्यक्ष, श्रीमती रेखा शर्मा

- तारीख 1 से 3 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी, घंडाल पर 'महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता– चुनौतियों को चुनौती' पर कार्यशाला में भाग लिया।
- तारीख 9 अगस्त, 2019 को जूनी अलवानीनेस, गिर राष्ट्रीय पार्क, जूनागढ़ जिला, गुजरात में निवास कर रही मालधारी समुदाय की जनजाति की महिलाओं से मुलाकात की।
- तारीख 21 अगस्त, 2019 को 'इंडियन एक्सप्रेस एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड' कार्यक्रम में भाग लिया।
- तारीख 26 और 27 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के सहयोग से पीओएसएच अधिनियम के अधीन 'कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण' पर आयोजित कार्यशाला में अध्यक्षता की।
- तारीख 30 अगस्त, 2019 को 'वोम्ब्स स्लॉटर इन बीड' विचार गोष्ठी में भाग लिया।
- तारीख 30 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय आइकॉन पुरस्कार में भाग लिया जहां पर उन्हें राष्ट्रीय युवा आइकॉन पुररस्कार प्रदान किया गया।

सदस्य सचिव, सुश्री मीनाक्षी गुप्ता

- तारीख 2 अगस्त, 2019 को तमिलनाडू राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (टीएनएनएलयू), तिरूचिरापल्ली के सहयोग से आयोजित 'उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण' के सेमिनार में अध्यक्षता की।

सदस्य, श्रीमती चंद्रमुखी देवी

- तारीख 14 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(1)(ट) के अनुसार गोरखपुर में जिला जेल के महिला वार्ड का दौरा किया।
- तारीख 16 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(1)(ट) के अनुसार महाराजगंज में जिला जेल के महिला वार्ड का दौरा किया।

सदस्य, श्रीमती कमलेश गौतम

- तारीख 8 अगस्त, 2019 को रायुपर में नारी निकेतन का दौरा किया।

सदस्य, सोसो शाइजा

- तारीख 28 अगस्त, 2019 को मिरांडा हाउस में पूर्वोत्तर की महिला विद्यार्थियों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
- तारीख 30 अगस्त, 2019 को एनएचआरसी और आईएलएस पुणे में विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित 'घरेलू नौकरों के मानव अधिकारोः मुद्दें और चुनौतियों' पर प्रादेशिक सम्मेलन में भाग लिया।

सदस्य, डा. राजुलबेन एल देसाई

- तारीख 13 अगस्त, 2019 को साबरकांठा और तारीख 17 अगस्त, 2019 को बनासकांठा में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण पर एक दिन की कार्यशाला में भाग लिया।
- तारीख 14 अगस्त, 2019 को बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के अधीन आशा और आगंनवाड़ी कर्मकारों के लिए आयोजित संवेदनशीलता कार्यक्रम में भाग लिया।
- तारीख 15 अगस्त, 2019 को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन उत्सव मनाने के लिए बीएसएफ गुजरात के सीमांत मुख्यालय का दौरा किया।
- तारीख 16 अगस्त, 2019 को पालनपुर में विमला विद्यालय द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर एक दिन के सेमिनार में भाग लिया।

सदस्य, सुश्री श्यामला एस कुंदर

- तारीख 10 अगस्त, 2019 को उडुपी सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे बनानजी महिला/लड़कियों के छात्रावास का दौरा किया।
- तारीख 9 अगस्त, 2019 काडियेली कर्नाटक में मातृ मंडली कार्यक्रम में भाग लिया।
- तारीख 10 अगस्त, 2019 को उडुपी में डा. कोटा शिवराम अनुसंधान और अध्ययन केंद्रीय न्यास के साथ बैठक की।

अगस्त, 2019 में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त शिकायतें और समाधान की गई शिकायतें

मास	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें (पुरानी + नई)
अगस्त, 2019	74	16

अगस्त, 2019 में शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतें और समाधान की गई शिकायतें

मास	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें (पुरानी + नई)
अगस्त, 2019	2786	957

वन स्टॉप सेंटर का दौरा

वन स्टॉप केंद्रों (ओएससी) की स्थापना निजी और सार्वजनिक स्थान, परिवार के भीतर, सामुदायिक और कार्यस्थल पर हिंसा द्वारा प्रभावित महिलाओं की सहायता करने के लिए की गई है। ऐसी महिलाएं जो शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुरूपयोग, चाहे उनकी आयु, वर्ग, जाति, शैक्षणिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, वर्ग और संस्कृति की क्यों न हो वह अपने परिवाद के प्रतितोष के लिए ओएससी से संपर्क कर सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को ओएससी स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(1)(ट) के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने इस महीने कुछ ओएससी के इन केंद्रों की दशा और कार्यप्रणाली की जांच पड़ताल की। ब्यौरें नीचे दर्शित किए गए हैं:

क्र. सं.	तारीख	शहर	सदस्य
1.	8 अगस्त, 2019	रायपुर	श्रीमती कमलेश गौतम
2.	9 अगस्त, 2019	उडुपी	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
3	13 अगस्त, 2019	सबरकांता	डा. राजुलबेन एल देसाई
4.	20 अगस्त, 2019	लखनऊ	श्रीमती चंद्रमुखी देवी

रायपुर, लखनऊ, बरेली, और प्रयागराज में जनसुनवाई

इस मास के दौरान तीन महिला जनसुनवाई आयोजित की गई थी, नीचे सारणी में आयोजित जनसुनवाईयों के ब्यौरें उल्लिखित किए गए हैं:

क्र. सं.	तारीख	शहर	सदस्य
1.	9 अगस्त, 2019	रायपुर	श्रीमती कमलेश गौतम
2.	20 अगस्त, 2019	लखनऊ	श्रीमती चंद्रमुखी देवी
3.	28 अगस्त, 2019	बरेली	श्रीमती श्यामला एस. कुंदर
4.	30 अगस्त, 2019	प्रयागराज	डा. राजुलबेन एल देसाई

माताओं के संरक्षकता अधिकारों पर सेमिनार

तारीख 31 अगस्त, 2019 को माताओं के लिए संरक्षकता अधिकारों की समीक्षा करने के लिए आयोग ने एक परामर्श आयोजित किया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में परामर्श आयोजित किया गया था। विधिक उपबंधों के अनुसार पिता बालक का नैसर्गिक संरक्षक है और केवल उसकी अनुपस्थिति में माता बालक की संरक्षक होती है। चूंकि विधि माता के ऊपर पिता को अधिमानता देती है इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन परिकल्पित समानता के अधिकार और भेदभाव के अधिकार के विरूद्ध है इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह महसूस किया कि हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन महिलाओं के संबंध में संरक्षकता अधिनियम की बाबत विधि पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इस बैठक की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने की और बैठक में अन्य भाग लेने वालों में राज्यों और केंद्रीय सरकार, वकील, कर्मठ कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, सिविल सोसाइटी संगठन, समाज विज्ञानी आदि शामिल थे। कुछ सिफारिशें की गई थी जो कि निम्नलिखित हैः

- किसी हिंदू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक बनने के लिए माताओं को पिता के बराबर लाया जाए।
- 'अवैध' शब्द के उपयोग का लोप किया जाए क्योंकि कोई भी बालक अवैध नहीं होता है और विधि सभी बालकों के लिए समान होनी चाहिए चाहे वह वैवाहिक संबंधों से पैदा हुआ हो या उसके बाहर।
- संरक्षकता मामलों का त्वरित निपटारा करने के लिए समय सीमा के लिए उपबंध किया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, **जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,** नई दिल्ली– 110025 द्वारा प्रकाशित।
डायलः 011-26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809
डॉलफिन प्रिंटा–ग्राफिक्स, 1ई/18, चौथा तल, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 #011-23593541-42.